न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 120/2011 श्री प्यारेलाल **बनाम** तफजुल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24–05–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अपीलान्ट के दिनांक 9–9–2016 को पेश शुदा कायम मुकाम आवेदन पर रेस्पोन्डेन्ट व कायम मुकामान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट स्वयं यह कहकर आते है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10 का निधन दिनांक 26–12–2015 को हुआ है। आवेदन कायम मुकाम दिनांक 6–9–2016 को पेश किया गया है। कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए 90 दिवस यानि 25–3–2016 तक की अवधि विहित थी। अपीलान्ट द्वारा नियत अवधि से साढ़े पांच माह करीब विलम्ब से यह आवेदन आदेश–22, नियम–4 के तहत पेश किया है। जिसमें न तो अबेट निरस्ती का आवेदन वर्णित/संलग्न है न ही आवेदन शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत है। मयाद कण्डोन किये जाने के लिए भी कोई कारण/आवेदन/शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। आश्चर्यजनक रूप से अपीलान्ट व मृतक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10 दोनों सगे भाई है। तद्नुसार अपीलान्ट को रेस्पोन्डेन्ट की मृत्यु की जानकारी नहीं होना तथा स्वयं द्वारा किये गये वादकरण/अपील की जानकारी नहीं होने को नहीं माना जा सकता। स्पष्टतया अपील उपरोक्त समस्त कारणों से अबेट योग्य रहती है। क्योंकि वाद में अंतिम डिक्री हो चुकी है तथा अब रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10 अकेले के विरूद्ध अबेट होकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अपील अपीलान्ट अबेट होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–9–2008 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन र0ा.अ.अ**. ....मुकाम ....**उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री प्यारेलाल पिता ऊंकारलाल बनाम **1– श्री तफजुल हुसैन पिता ईस्माईल**
जी श्रीमाली निवासी मज्जा **जी बोहरा निवासी नाथद्वारा**
तहसील व जिला राजसमन्द **जिला राजसमन्द अन्य–9 व**
सरकार

अपील नं0 **120/2011** बनाराजगी डिगरी अदालत.......... **सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी)** ...... **राजसमन्द**.... . मुकाम मुर्ख्रे......**15**.....माह....**09**..........**2008**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**24**..... माह ......**05**.......... सन् **2018** रूबरू........... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री डूंगरसिंह कर्णावट** .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री वी.एस. कर्णावट** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट अबेट होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–9–2008 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**24**...... माह ...**05**........ **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

**भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व
अपील अधिकारी
उदयपुर**

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील . ... स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....**उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री चतरा पिता मावा जी डांगी कन्नाजी डांगी निवासी बाण्डी मगरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर बनाम **श्री पेमा पिता निवासी बाण्डी मगरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर अन्य–1 व सरकार**

अपील नं0 **88/2016** बनाराजगी डिगरी अदालत................. **उपखण्ड अधिकारी** .... **गिर्वा** **..................** मुकाम मुर्ख्खे........13..........माह.........**06**....... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**02**..... माह ......**01**.......... सन् **2017.....** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री भीमराज पटे**. .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री प्रकाश पालीवाल** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **हस्ब राजीनामा वाद प्रारम्भिक डिक्री घोषणा व विभाजन का किया जाता है। तथा तद्नुसार ही पक्षकारान के शामलाती आराजीयात का नियमानुसार हस्ब राजीनामा विभाजन कर प्रकरण में नियमानुसार अंतिम डिक्री पारित करने को प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किया**

जाता है। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**02**...... माह ...**01**........ **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व
अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... स्टाम्प वकालत नामा.. ..					
2. इजराय हुक्मनामा					
3. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 120/2011 श्री प्यारेलाल **बनाम** तफजुल

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे..........27............. माह ....02.......... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 120/2011 श्री प्यारेलाल **बनाम** तफजुल

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........08.............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।